

## डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली

इजलास

पीठासीन अधिकारी :-

हेमराज गूर्जर, R.A.S.

प्रकरण सख्या:-166/2009

दायर दिनांक:-12.08.09

जीसीएमएस नं. 2009/00080

1. विजेन्द्र शर्मा आयु 45 साल } पुत्रगण
2. नरेश शर्मा आयु 38 साल } मनोहरी
3. मु. दुर्गी आयु 65 साल बेबा मनोहरी
4. मु. लाली पुत्री मनोहरी पत्नि रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी हाल डोरावली तहसील टोडाभीम जिला करौली
5. मु. शारदा पुत्री मनोहरी पत्नि राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी हाल अटक तहसील हिण्डौन जिला करौली।

---वादीगण

### बनाम

1. बनेसिंह आयु 45 साल पुत्री चिरंजी
2. कमल आयु 45 साल पुत्री चिरंजी
3. तहसीलदार तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली।

---प्रतिवादीगण

### दावा बाबत इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा न0 166/2009

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू प्रतिवादीगण हाजिरी श्री मुरारीलाल करसौलिया मिन जानिव मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी की आराजी खसरा न0 2350/1211 रकबा 10 ऐयर स्थित ग्राम अलीपुरा तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी में मनोहरी पुत्र जगमोहन जाति ब्राह्मण निवासी अलीपुरा के विधिक वारिसों को बहिस्सा बराबर खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार श्रीमहावीरजी को आदेशित किया जाता है कि वादीगण के विधिक वारिसों के नाम विरासत का नियमानुसार नामांतरण की कार्यवाही संपादित करे एवं उक्त विवादित आराजीयात में वादीगण के कब्जे काशत में किसी प्रकार से मजाहमत मदाखलत नहीं करने, वादीगण के कब्जे काशत में किसी प्रकार से मजाहमत मदाखलत नहीं करने, वादीगण को बेदखल कर उस पर कब्जा नहीं करने, वादीगण को बेदखल कर उस पर कब्जा नहीं करने, कोई निर्माण नहीं करने, हेतु प्रतिवादीगणों को पाबंद किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13-2-25 को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गूर्जर) 13/2/25  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन जिला करौली

